Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, SEPT-OCT, 2022, VOL- 10/73
https://doi.org/10.21922/srjis.v10i73.11654

प्राथमिक विद्यालयों के सन्दर्भ में 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम (2009) में चिन्हित आधारभूत शैक्षिक संरचना का अध्ययन

मृदुल कुमार सिंह
पूर्व शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

Paper Received On: 25 OCTOBER 2022
Peer Reviewed On: 31 OCTOBER 2022
Published On: 01 NOVEMBER 2022

Abstract

भारतीय परम्पराओं के अनुसार परिवार प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र होते हैं। माता बालक की सर्वप्रथम गुरू मानी जाती हैं जो बालक को शुभ संस्कारों की प्रेरणा देकर उसके व्यवहार को सामाजिकता प्रदान करती हैं। पिता भी माता के पश्चात् गुरु का कार्य करता हैं जो उसे शुभ कार्य की प्रेरणा देकर सदाचार के लिए प्रेरित करता हैं, यही से बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ होती है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है, और इन अधिकारो का उपयोग करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें दी गई है–

1. शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत गणराज्य के संविधान में तीन अलग अलग सूचियां है– प्रथम संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है । द्वितीय राज्य या प्रान्तीय सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारो को है। तृतीय समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवम् राज्य सरकार दोनों को है। प्रारम्भ में शिक्षा प्रान्तीय या राज्य सूची में थी। 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारो दोनों की जिम्मेदारी है।
2. जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओ की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। सन् 2002 में संविधान में 86 वा हुआ जिसमे अनुच्छेद 45 में यह परिवर्तन किया गया की – राज्य सभी बच्चों को जब तक को वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

3. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवम् निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 21। जोड़ा गया जिसमे – राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवम् निशुल्क व्यवस्था करेगा। साथ ही एक संशोधन यह भी किया गया की प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है की वह माता पिता या अभिभाक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

4. शिक्षा संस्थाओ में प्रवेश के समान अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई – राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नही किया जाएगा।

5. स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई – इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालको के लिए कोई उपबंध बनाने में कोई बाधा नही होगी।

6. समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया उसक बाद अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है – राज्य जनता के कमजोर वर्गो, विशेषतः अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितो की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

7. अल्पसंख्यको की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार – धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओ की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। संविधान के अनुच्छेद 30(2) के अनुसार – शिक्षा संस्थाओ को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा की वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

8. मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 350(।) के अनुसार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व है की वह भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यको के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधाये उपलब्ध कराये।

9. धार्मिक शिक्षा पर रोक की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार पूर्ण रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी, और अनुच्छेद 29

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

के अनुसार राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में बाध्य नहीं किया जाएगा।

10. राष्ट्रीय महत्त्व की भाषाओ की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) में 15 भाषाओ को राष्ट्रीय महत्त्व की भाषा घोषित किया गया है । ये भाषाएँ है – असमिया, बंगाली, गुजरती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुग, उर्दू, कोंकड़ी, मणिपुरी, डोंगरी, बोगे, मैथिली, सन्थाल और नेपाली। इस प्रकार इस समय राष्ट्रीय महत्त्व की भाषाओ की संख्या 22 है।

11. राष्ट्र भाषा हिंदी के विकास की बात कही गयी है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है तथा अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है।

12. भारतीय संविधान की धारा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति–निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया था– राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। लेकिन लगभग 63 वर्ष बीतने के बाद भी यह काम नहीं हो पाया है। संसद ने 4 अगस्त, 2009 को बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। **एस. सी. ई. आर. टी. (2014)**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्यायें

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू होने में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लागू होने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि अब बच्चों को उनका अधिकार प्राप्त हो जायेगा परन्तु ऐसा नही हो सका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए लगभग ११ वर्ष हो चुके है परन्तु आज भी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आ रही है। २०११ की जनगणना के अनुसार आज भी भारत में ऐसे बच्चों की संख्या लगभग ७८ लाख से अधिक है जो स्कूल तो जाना चाहते है लेकिन किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक समस्यां के कारण स्कूल नहीं जा पाते। भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने में दो बड़ी समस्यायें है प्रथम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा और दूसरी कक्षाओं की उपेक्षा। सामान्यतः सरकारी विद्यालयों में बड़ी कक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है और छोटी कक्षाओं की उपेक्षा होती है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है की आठवीं कक्षा के विद्यार्थी तो इस साल पास होकर चले जायेंगे, उनके लिए हमारे पास अगला साल नहीं होगा परन्तु पहली और दूसरी के बच्चों को तो बाद में भी समय देकर सिखाया जा सकता है। इस सोच के कारण बहुत से विद्यालयों में हर साल बच्चों की उपेक्षा होती है और अधिगम का स्तर गिरता जाता है। **रुहेला (2007)**

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भारत में एकल विद्यालयों की स्थिति बताती है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। नई नियुक्ति के लिए सरकार तैयार नहीं है, पद खली पड़े है। बारहवीं पास लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, इससे स्थिति में परिवर्तन नही हो रहा है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दीर्घकालीन नीति में सरकारी प्रयासों को गति देने की जरूरत है। इसके अभाव में अनेकों नीतियाँ और कार्यक्रम आधे–अधूरे उद्देश्यों को प्राप्त करेंगें। प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से सरकार पीछे हटती जा रही जा रही है, लेकिन अब प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति की उपयोगिता स्वीकार कर ली गयी है। अब बात पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और उनके बेहतर प्रशिक्षण की होनी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। **बेनराफ्ट, (1962)** शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानते हुए शिक्षक को विभिन्न दशाओं में उन्नत बनाने के प्रेस करने चाहिए। **अग्रवाल (2014)**

आज के समय में मनुष्य की आवश्यकतायें बढ़ती जा रही है, ऐसे में व्यवसाय से असंतुष्ट रहना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में अतिरिक्त कार्य दबाव के अनेक कारण हो सकते है जैसे कठिन व्यवसाय, धन की कमी, उचित वेतन न मिलना, छात्रों की उपस्थिति में कमी, छात्रों के अनुशासन में कमी, पाठ्यक्रम में निरंतर परिवर्तन इत्यादि। **यादव, (1999)**

यूनीफाइड डिस्ट्रिक इन्फार्मेशन सिस्टम फॉरएजुकेशन (U-DISE) 2015–16 के डाटाबेस के अनुसार देश के 33 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, शिष्य–शिक्षक अनुपात में कमी को हम लक्ष्यद्वीप में 100 प्रतिशत से लेकर बिहार में 16.6 प्रतिशत तक देख सकते हैं। **कौर, (2013)**

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस हद तक जनता के सपनों को पूरा करता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार काननू कई मायनों में विरोधाभासों, अस्पष्टताओं व चुनौतियों से भरा हुआ हैं परन्तु किस सीमा तक? यही देखना इस कार्य का सम्यक उद्‌देश्य होगा कि भारत के संविधान में इस विषय को लेकर क्या प्रावधान और व्यवस्थाए हैं। और यह काननू किस प्रकार उनसे विरोधाभासी हैं जैसा हमने देखा कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे तथ्य और मिथक हैं जो यह स्पष्ट संकेंत करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं और उससे शिक्षा के क्षेत्र में और वह भी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बेहद आवश्यकता है। परन्तु कई प्रकार से जमीनी हकीकत और शिक्षा के अधिकार के ऊपर आवश्यक हो जाता है कि यह अवश्य देखा जाए कि शिक्षा का मौलिक आधिकार कितना प्रभावी है। और वास्तविक स्थिति में इसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है। **कामथ, (2013)** इस दृष्टि से यह प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा के अधिकार–2009 का क्रियान्वयन और प्रभाव का सम्यक् रूप में अध्ययन करने का प्रयास है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों और बालिकाओं द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन (2009) प्रश्नावली में अन्तर को दर्शाते मध्यमान, मानक विचलन व टी–अनुपात

क्र.सं.	**शिक्षा अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन (2009) प्रश्नावली**	**बालक (N=250)**		**बालिका (N=250)**		**टी अनुपात**	**सार्थकता स्तर**
		मध्यमान	**मानक विचलन**	**मध्यमान**	**मानक विचलन**		
1.	आधारभूत शैक्षिक संरचना	12.18	2.739	12.57	2.58	1.61	असार्थक
2.	विद्यालयीय मान्यता के मानदण्ड	11.77	3.452	12.88	2.68	4.09	सार्थक
3.	वित्तीय संसाधनों की पहचान	11.97	3.344	14.48	2.71	9.22	सार्थक
4.	शिक्षक–छात्र अनुपात	12.02	4.412	13.28	3.35	3.60	सार्थक
5.	निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग व अलाभित समूह के लिए 25% सीट के उपबंध	12.31	4.056	13.85	3.00	4.82	सार्थक
6.	विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व बोध	11.50	3.319	13.53	2.54	7.66	सार्थक
7.	स्थानीय प्राधिकरण व माता–पिता के उत्तरदायित्व बोध	11.35	3.422	12.54	2.46	4.47	सार्थक
8.	**कुल शिक्षा अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन**	**83.10**	**11.83**	**93.13**	**7.26**	**11.41**	**सार्थक**

(स्वतंत्र्यांश 498 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर टी–सारणी मान 1.96) **कपिल, (2010), कर्लिंगर, (1986)**

1. प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों एवं बालिकाओं की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। बालकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 67. 69% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं का प्रतिशत 69.82% है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण बालकों एवं शहरी बालकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान नहीं है। बालकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 65.24% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी बालकों का प्रतिशत 70.13% है।
3. प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण बालिकाओं एवं शहरी बालिकाओं की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। ग्रामीण बालिकाओं की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 70.49% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी बालिकाओं का प्रतिशत 69.16% है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

4. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान नहीं है। पुरुष शिक्षकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 80.56% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों का प्रतिशत 64.56% है।
5. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण पुरुष शिक्षकों एवं शहरी पुरुष शिक्षकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 80.44% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी पुरुष शिक्षकों का प्रतिशत 82.22% है।
6. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण महिला शिक्षकों एवं शहरी महिला शिक्षकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। ग्रामीण महिला शिक्षकों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 65.78% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी महिला शिक्षकों का प्रतिशत 63.33% है।
7. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष अधिकारियों एवं महिला अधिकारियों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। पुरुष अधिकारियों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 80.00% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारियों का प्रतिशत 76.89% है।
8. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण पुरुष अधिकारियों एवं शहरी पुरुष अधिकारियों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। ग्रामीण पुरुष अधिकारियों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 84.62% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी पुरुष अधिकारियों का प्रतिशत 79.63% है।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण महिला अधिकारियों एवं शहरी महिला अधिकारियों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रिया समान है। ग्रामीण महिला अधिकारियों की 'आधारभूत शैक्षिक संरचना' सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत 80.34% है जबकि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी महिला अधिकारियों का प्रतिशत 73.15% है।

सन्दर्भ

रुहेला, सत्यपाल (2007). भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ सं.— 123।

एण्डरसन, आर० एल० व बेनराफ्ट, टी० ए० (1962). स्टेटिस्टिकल थियरी आफ रिसर्च, मैकग्रा हिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क।

एस. सी. ई. आर. टी. (2014). सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन निर्देशिका भाग—1. रायपुरः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, पृष्ठ सं.— 84।

एस0 गुप्ता एवं जे0 सी0 अग्रवाल (2014). भारत में प्रारंभिक शिक्षा (स्वतन्त्रता से पूर्व एवं प चात्), प्रकाशक शिपरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ सं.— 109।

एल्कोफ, आर० एल० (1959). द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, हाल्ट राइनहर्ट एण्ड विस्टन, न्यूयार्क।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

यादव, रामचन्द्र (1999). इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ देने वाले (अपव्यय) छात्रों अध्ययन, शिक्षा शास्त्र विभाग, बीर बहादुर सिंह पूर्वाऋचल विश्वविद्यालय जौनपुर।

कपिल, एच0 के0 (2010). अनुसंधान विधियॉ, चौदहवॉ संस्करण, एच0 पी0 भार्गव बुक हाऊस, आगरा।

कपिल, एच० के० (2006). सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

कर्लिंगर, एफ० एन० (1986). फाउण्डेशन आफ विहैवियरल रिसर्च, हाल्ट राइनहर्ठ एण्ड विन्सटन, न्यूयार्क।

कामथ, ए.के. (2013). अवेयरनेस ऑन राईट टू एजुकेशन 2009 अमंग एलिमेन्ट्री स्कूल टीचर्स, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट एंड इन्नोवेशन।

कोठारी, सी0 आर0 (2004). अनुसंधान विधियॉ, द्वितीय संस्करण, न्यू एज इन्टरनेशनल पब्लि र्स, नई दिल्ली।

कौर, आर. (2013). यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेनट्री एजुकेशन इन इण्डिया : द पॉलिसी पर्सपेक्टीव, एजुकेशन कोंफैब, वैलुम 01, इशू 6।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies